

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA):
Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10168/16/18]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bengaluru, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bengaluru, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10169/16/18]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2016-2017.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 10170/16/18]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10171/16/18]

(6) A copy of the Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.844(E) published in Gazette of India dated 6th September, 2018 under Section 38A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R.1141(E) dated 28th November, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10172/16/18]

(7) A copy of the Notification No. S.O.5799(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 19th November, 2018 making certain amendments in the Notification No. S.O.814(E) dated 23rd March, 2015 under sub-section (3) of Section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

[Placed in Library, See No. LT 10173/16/18]

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 30 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016:-

(i) The Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.766(E) in Gazette of India dated 10th August, 2018.

(ii) The Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1133(E) in Gazette of India dated 20th November, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10174/16/18]

(9) A copy of Notification No. S.O.5120(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 3rd October, 2018, regarding amendment of the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority issued under Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 10175/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI
PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Social and Economic Change, Bengaluru, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Social and Economic Change, Bengaluru, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10176/16/18]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10177/16/18]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10178/16/18]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10179/16/18]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10180/16/18]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development Economics (Delhi School of Economics-University of Delhi), Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development Economics (Delhi School of EconomicsUniversity of Delhi), Delhi, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10181/16/18]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(i) The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LADNRO/GN//2018/29 in Gazette of India dated 13th August, 2018.

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Terms and Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. S.O.4825(E) in Gazette of India dated 13th September, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10182/16/18]

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 15 of the Government

Savings Promotion Act, 1873:-

(i) The Kisan Vikas Patra (Amendment Rules), 2018 published in Notification No. G.S.R.955(E) in Gazette of India dated 3rd October, 2018.

(ii) G.S.R.956(E) published in Gazette of India dated 3rd October, 2018, notifying the subscriptions made to the Public Provident Fund on or after the 1st day of October, 2018 and the balances at the credit of the subscriber shall bear interest at the rate of 8.0 per cent per annum.

(iii) The National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment Rules), 2018 published in Notification No. G.S.R.957(E) in Gazette of India dated 3rd October, 2018.

(iv) The National Savings Time Deposit (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.958(E) in Gazette of India dated 3rd October, 2018.

(v) The National Savings Recurring Deposit (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.959(E) in Gazette of India dated 3rd October, 2018.

(vi) The National Savings (Monthly Income Account) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.960(E) in Gazette of India dated 3rd October, 2018.

(vii) The Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.962(E) in Gazette of India dated 3rd October, 2018.

(viii) The Government Savings Promotion General Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1003(E) in Gazette of India dated 8th October, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10183/16/18]

(9) A copy of the Senior Citizens' Welfare Fund (Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1091(E) in Gazette of India 6th November, 2018 issued under Section 128 of the Finance Act, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 10184/16/18]

(10) A copy of the Notification No. G.S.R.961(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 3rd October, 2018, notifying that the subscriptions made to the fund on or after the 1st day of October, 2018 and the balances at the credit of the subscriber shall bear interest at the rate of 8.5 per cent per annum issued under sub-rule (1) of Rule 7 of the Sukanya Samriddhi Account Rules, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 10185/16/18]

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

- (i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. G.S.R.823(E) in Gazette of India dated 30th August, 2018.

- (ii) The Foreign Exchange Management (Establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. G.S.R.827(E) in Gazette of India dated 31st August, 2018.
- (iii) The Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. G.S.R.1093(E) in Gazette of India dated 9th November, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10186/16/18]

12 02 hrs

At this stage, Shri Rajesh Ranjan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष : राजेश जी, मैंने बोला है कि मैं यह मामला बाद में उठाने दूंगी। अभी आप अपनी सीट पर चले जाइए। इस समय पेपर लेड हो रहा है।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष

महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री शिव प्रताप शुक्ला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2018, जो 19 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1128(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2018, जो 30 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 4213(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) आयकर (10वां संशोधन) नियम, 2018, जो 23 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1054(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) आयकर (विवाद समाधान तालिका) (पहला संशोधन) नियम, 2018, जो 23 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1055(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) आयकर (11वां संशोधन) नियम, 2018, जो 25 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1068(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2018, जो 9 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 5149(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (सात) का.आ. 5608(अ), जो 1 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पीएमएलए की धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकार का अधिनिर्णयन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत उल्लिखित अपीलीय अधिकरण, न्यायनिर्णयन प्राधिकार अपीलीय अधिकार के कृत्यों का निर्वहन करेगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (आठ) बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध (कठिनाइयों का निराकरण) दूसरा आदेश, 2018, जो 31 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 5602(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (नौ) का.आ. 5323(अ), जो 16 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदभिहित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दस) का.आ. 5575(अ), जो 12 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के द्वारा प्रदत्त अधिकारिता शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए नई दिल्ली में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (ग्यारह) का.आ. 5323(अ), जो 16 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केन्द्रीय सरकार के विनिर्देशन के बारे में है कि बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की नई दिल्ली खंडपीठ, उस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर अधिकारिता का प्रयोग करेगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) का.आ. 5677(अ), जो 12 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील की सुनवाई के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नई दिल्ली में अपीलीय अधिकरण की स्थापना किए जाने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 10187/16/18]

(2) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक- एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

- (एक) बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, 2018, जो 20 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 785(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) बीमा लोकपाल नियम, 2017, जो 27 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 10188/16/18]

(3) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (दूसरा संशोधन) नियम, 2018, जो 19 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1129(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 10189/16/18]

(4) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक- एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

- (एक) सा.का.नि. 742(अ) जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाता, जिन्हे अनंतिम पहचान पत्र प्राप्त हुए हैं लेकिन जो प्रवास प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाये हैं, को प्रवास प्रक्रिया पूरी करने के लिए विशेष प्रक्रिया विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 743(अ) जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30.09.2019 तक सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (4) के अंतर्गत कर के संदाय से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 759(अ) जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक का कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपए से अधिक है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 760(अ) जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक का कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपए से अधिक है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 तिमाही रूप से प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 761(अ) जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माह जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (छह) सा.का.नि. 792(अ) जो 21 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माह जुलाई, 2018 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 801(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माह जुलाई, 2018 और अगस्त, 2018 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 802(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 और अगस्त, 2018 के लिए कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपए से अधिक है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि. 803(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 से सितम्बर, 2018 तक की तिमाही का कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपए से अधिक है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2018 जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 831(अ) प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 832(अ) जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-04 में घोषणा करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (बारह) सा.का.नि. 833(अ) जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-3ख, जीएसटीआर-4 और प्रपत्र जीएसटीआर-6 में करदाताओं के विशिष्ट वर्गों को विलंब शुल्क चुकाने से माफी देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तेरह) सा.का.नि. 834(अ) जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-01 में करदाताओं के विशिष्ट वर्गों के लिए घोषणा करने की को समय-सीमा को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चौदह) सा.का.नि. 854(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रपत्र जीएसटीआर-1 आईटीसी-01 में करदाताओं जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपए तक था, को छूट देने की देय तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पन्द्रह) सा.का.नि. 855(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय करदाताओं के लिए जिनका कुल कारोबार 1.5 करोड़ रूपए तक है, को देय तिथि को प्रपत्र जीएसटीआर-1 दाखिल करने की देय तिथि विस्तारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सोलह) सा.का.नि. 856(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नए माइग्रेटेड (जिन्होंने दिनांक 6.8.2018 की अधिसूचना सं. 31/2018-केन्द्रीय कर के माध्यम से जीएसटीआईएन प्राप्त किया) में करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-3ख दाखिल करने की तिथि का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सत्रह) सा.का.नि. 857(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नए माइग्रेटेड (जिन्होंने दिनांक 6.8.2018 की अधिसूचना सं. 31/2018-केन्द्रीय कर के माध्यम से जीएसटीआईएन प्राप्त किया) में करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-3ख दाखिल करने की देय तिथि का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) सा.का.नि. 858(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हाल में प्रवास किए (जिन्होंने दिनांक 6.8.2018 की अधिसूचना सं. 31/2018-केन्द्रीय कर के माध्यम से जीएसटीआईएन प्राप्त किया) में करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-3ख को फाइल करने के लिए नियत तारीख का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2018 जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 859(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम, 2018 जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 867(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा.का.नि. 868(अ) जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम (टीडीएस से संबंधित उपबंध) की धारा 51 को 01.10.2018 से प्रवृत्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाइस) सा.का.नि. 869(अ) जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम

(टीसीएस से संबंधित उपबंध) की धारा 52 को 01.10.2018 से प्रवृत्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) सा.का.नि. 900(अ) जो 20 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रत्येक इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर द्वारा राज्यों के बीच करादेय आपूर्तियों के लिए संगृहीत किए जाने वाले स्रोत पर कर संग्रहण की दर को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 9 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1007(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 9 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1011(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) सा.का.नि. 1050(अ) जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी करदाताओं के लिए सितम्बर, 2018 के माह में प्रपत्र जीएसटीआर-3ख को फाइल करने की अंतिम तारीख को 25.10.2018 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 1056(अ) जो 23 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 32/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 15.09.2017 का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 1057(अ) जो 23 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत

पोस्ट ऑडिट प्राधिकरणों को टीडीएस के अनुपालन से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतीस) सा.का.नि. 1070(अ) जो 26 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय करदाताओं, जिनका रजिस्ट्रेशन 30 सितम्बर, 2018 को या उससे पूर्व रद्द किया गया है, को प्रपत्र जीएसटीआर-10 में अंतिम रिटर्न फाइल करने के लिए 31 दिसम्बर, 2018 तक का समय दिया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीस) सा.का.नि. 1071(अ) जो 26 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2018 की अवधि के लिए प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-04 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2018 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकत्तीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 30 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1075(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बत्तीस) सा.का.नि. 1084(अ) जो 5 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तक आपूर्ति को टीडीएस से संबंधित उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तैंतीस) सा.का.नि. 1146(अ) जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आंध्र प्रदेश के

श्रीकाकुलम जिले और तमिलनाडु के 11 जिलों में करदाताओं के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-3ख को फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौत्तीस) सा.का.नि. 1147(अ) जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले और तमिलनाडु के 11 जिलों में करदाताओं के लिए 1.5 करोड़ रूपए से अधिक कुल आवर्त के करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-1 को फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पैंतीस) सा.का.नि. 1148(अ) जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में करदाताओं के लिए, माह जुलाई, 2018 से सितम्बर, 2018 तक की तिमाही के लिए, कुल आवर्त 1.5 करोड़ रूपए तक के कुल आवर्त के करदाताओं हेतु प्ररूप जीएसटीआर-1 फाइल करने की नियत तारीख को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा.का.नि. 1149(अ) जो 29 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में करदाताओं के लिए जुलाई से सितंबर, 2018 तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में ब्यौरे भरने के लिए समयावधि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सा.का.नि. 1150(अ) जो 29 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्तूबर, 2018 से दिसंबर,

2018 के महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-7 में में ब्यौरे भरने के लिए समयावधि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10190/16/18]

(5) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-.

(एक) सा.का.नि. 744(अ) जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(4) के अंतर्गत 30.09.2019 तक कर संदाय से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 901(अ) जो 20 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अंतर्राज्यीय करादेय आपूर्तियों के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा कर संग्रहण की दर अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 1052(अ) जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 14.09.2017 की अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10191/16/18]

(6) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 745(अ) जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(4) के अंतर्गत 30.09.2019 तक कर संदाय से छूट देना है , की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10192/16/18]

(7) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 8 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1116(अ) जो 15 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधिनियमों को अधिसूचित करना है, जिनके अंतर्गत माल और सेवा कर में विनिर्दिष्ट कर सम्मिलित किए जा रहे हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 10193/16/18]

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1180 (अ) जो 6 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा भारत में उत्पादित तथा निर्यातित माल पर वापसी की सभी औद्योगिक दरों को अधिसूचित किया गया है तथा ये दरें निर्यातित माल के विनिर्माण में आदानों के रूप में प्रयुक्त, क्रमशः किसी आयातित सामग्रियों या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्रियों पर प्रभारित, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रिबेट की संगणना के लिए औसत दरें हैं और यह अधिसूचना 19.12.2018 से प्रभावी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10194/16/18]

(9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत भारत गणराज्य तथा सिंगापुर गणराज्य के बीच हुए व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अधीन माल के उद्गम का सीमा शुल्क अवधारण (संशोधन) नियम, 2018 जो 14 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 881(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10195/16/18]

(10) सा.का.नि. 1203(अ) जो 13 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की

धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कराई गई जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "जियोलाइट 4ए (डिटर्जेंट ग्रेड)", के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को अधिरोपित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10196/16/18]

(11) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 1212(अ) जो 15 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 1214(अ) जो 17 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 37/2017-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 3442(अ) जो 13 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना संख्या 63/2018-सी.शु.(एन.टी) 19 जुलाई, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ

कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 3762(अ) जो 31 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) अधिसूचना संख्या 67/2018-सी.शु.(एन.टी) 2 अगस्त, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 3976(अ) जो 14 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) अधिसूचना संख्या 72/2018-सी.शु.(एन.टी) 14 अगस्त, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) अधिसूचना संख्या 74/2018-सी.शु.(एन.टी) 16 अगस्त, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय

मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दस) का.आ. 4236(अ) जो 31 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) अधिसूचना संख्या 77/2018-सी.शु.(एन.टी) 6 सितंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) का.आ. 4869(अ) जो 14 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) अधिसूचना संख्या 80/2018-सी.शु.(एन.टी) 19 सितंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) अधिसूचना संख्या 81/2018-सी.शु.(एन.टी) 20 सितंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय

मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पंद्रह) अधिसूचना संख्या 83/2018-सी.शु.(एन.टी) 28 सितंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) का.आ. 5014(अ) जो 28 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) अधिसूचना संख्या 85/2018-सी.शु.(एन.टी) 4 अक्टूबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) का.आ. 5312(अ) जो 15 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) अधिसूचना संख्या 87/2018-सी.शु.(एन.टी) 18 अक्टूबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय

मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का.आ. 5601(अ) जो 31 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) अधिसूचना संख्या 90/2018-सी.शु.(एन.टी) 1 नवंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ. 5743(अ) जो 15 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) अधिसूचना संख्या 93/2018-सी.शु.(एन.टी) 15 नवंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का.आ. 5880(अ) जो 30 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) अधिसूचना संख्या 96/2018-सी.शु.(एन.टी) 6 दिसंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय

मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 1176(अ) जो 6 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10197/16/18]

(12) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 1177(अ) जो 6 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) को निर्देश को हटाये जाने का उपबंध किया गया है क्योंकि जीएसटी के पश्चात् ये अधिनियम अस्तित्व में नहीं हैं; छूट और अन्य तकनीकी संशोधनों के रूप में प्राप्त किए गए उत्पाद शुल्क के संदाय पर, 30.06.2017 से पूर्व उत्पाद शुल्क के संदाय के बिना उपाप्त किए गए माल की निकासी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 1178(अ) जो 6 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 के सुसंगत नियमों के अंतर्गत जीएसटीआईएन, विद्यमान एफटीपी उपबंधों तथा 31.03.2003 की अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क आदि को निर्देश के साथ एक संशोधित बी-17 (सामान्य प्रतिभूति/सुरक्षा) बंधपत्र अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10198/16/18]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10199/16/18]

(2) (एक) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10200/16/18]

- (3) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10201/16/18]

- (4) (एक) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10202/16/18]

- (5) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10203/16/18]

- (6) (एक) फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10204/16/18]

(7) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10205/16/18]

(8) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10206/16/18]

(9) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) तेरहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 20 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/एमएंडएमपी/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 20 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/(03) /अधिसूचना(सीएफओआईएंडवाईसी)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) बारहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 20 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/ओएंडएफ/अधिसूचना(7)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 जो 20 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-94/एफएसएसएआई/एसपी(दावे और विज्ञापन)/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पंद्रहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 27 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति(अधि.) /2010-एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10207/16/18]

(10) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) दि कंटीन्यूइंग डेंटल एजुकेशन रेग्यूलेशन्स 2018 जो 18 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.डीई-226-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स (दूसरा संशोधन) रेग्यूलेशन्स 2018 जो 18 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.डीई-87(2)-2018 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दि "डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया स्क्रीनिंग टेस्ट (दूसरा संशोधन) रेग्यूलेशन्स 2018 जो 19 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.डीई-147/प्रकीर्ण-1/2018 में प्रकाशित हुए थे।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10209/16/18]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10210/16/18]

(3) (एक) चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10211/16/18]

(4) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10212/16/18]

- (5) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10213/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) for the year 2017-2018 alongwith Audited Accounts in respect of the following centres:-

- (1) Population Research Centre (JSS Institute of Economic Research),
Dharwad.

[Placed in Library, See No. LT 10214/16/18]

- (2) Population Research Centre (Department of Statistics, Patna University),
Patna.

[Placed in Library, See No. LT 10215/16/18]

- (3) Population Research Centre (Department of General and Applied Geography, Dr. Harisingh Gour University), Sagar.

[Placed in Library, See No. LT 10216/16/18]

- (4) Population Research Centre (Andhra University), Visakhapatnam.

[Placed in Library, See No. LT 10217/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980:-

(i) The Annual Report and Audited Accounts of the Council of Institute of Company Secretaries of India for the year ending 31st March, 2018 published in Notification No. F. No. 104/38/Accts.-1INTRODUCTION in Gazette of India dated 27th September, 2018.

(ii) G.S.R.1001(E) published in Gazette of India dated 8th October, 2018, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.490(E) dated 13th July, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 10218/16/18]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959:-

- (i) The Annual Report and Audited Accounts of the Council of Institute of Cost Accountants of India for the year ending 31st March, 2018 published in Notification No. G/18-CWA/9/2018 in Gazette of India dated 8th October, 2018.
- (ii) G.S.R.5808(E) published in Gazette of India dated 20th November, 2018, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.1693(E) dated 3rd October, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 10219/16/18]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949:-

- (i) The Annual Report and Audited Accounts of the Council of Institute of Chartered Accountant of India for the year ending 31st March, 2018 published in Notification No. 1-CA(5)/69/2018 in Gazette of India dated 28th September, 2018 together with a corrigendum thereto published in the Notification No. 1-CA(5)/69A/2018 dated 26th October, 2018.
- (ii) The Chartered Accountants (Election to the Council) Amendment Rules, 2018 published in Notification No.

G.S.R.796(E) in Gazette of India dated 23rd August, 2018.

- (iii) The Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and other Misconduct and Conduct of Cases) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1072(E) in Gazette of India dated 29th October, 2018.
- (iv) G.S.R.1155(E) published in Gazette of India dated 30th November, 2018, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.38(E) dated 19th January, 2011.

[Placed in Library, See No. LT 10220/16/18]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code Act, 2016:-

- (i) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG032 in Gazette of India dated 5th October, 2018.
- (ii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG033 in Gazette of India dated 11th October, 2018.

- (iii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Second Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG034 in Gazette of India dated 11th October, 2018.
- (iv) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG035 in Gazette of India dated 11th October, 2018.
- (v) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG036 in Gazette of India dated 11th October, 2018.
- (vi) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG037 in Gazette of India dated 22nd October, 2018.
- (vii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Mechanism for Issuing Regulations) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG038 in Gazette of India dated 22nd October, 2018.

- (viii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1083(E) in Gazette of India dated 5th November, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10221/16/18]

- (5) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working and Administration of the Companies Act, 2013 for the year ended 31st March, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10222/16/18]

- (6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

- (i) The Companies (Incorporation) Third Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.708(E) in Gazette of India dated 27th July, 2018.
- (ii) The Companies (Accounts) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.725(E) in Gazette of India dated 31st July, 2018.
- (iii) The Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.752(E) in Gazette of India dated 7th August, 2018.

- (iv) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.798(E) in Gazette of India dated 23rd August, 2018.
- (v) The Companies (Registration Offices and Fees) Fourth Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.797(E) in Gazette of India dated 23rd August, 2018.
- (vi) The Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Third Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.853(E) in Gazette of India dated 10th September, 2018.
- (vii) The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.875(E) in Gazette of India dated 13th September, 2018.
- (viii) The Companies (Indian Accounting Standards) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.903(E) in Gazette of India dated 20th September, 2018.
- (ix) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Sixth Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.904(E) in Gazette of India dated 20th September, 2018.
- (x) The Companies (Registration Offices and Fees) Fifth Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.905(E) in Gazette of India dated 20th September, 2018.

- (xi) The Companies (Registered Valuers and Valuation) Third Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.925(E) in Gazette of India dated 26th September, 2018.
 - (xii) The Companies (Registered Valuers and Valuation) Fourth Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1108(E) in Gazette of India dated 13th November, 2018.
 - (xiii) The National Financial Reporting Authority Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1111(E) in Gazette of India dated 14th November, 2018.
 - (xiv) The Companies (Cost records and Audit) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1157(E) in Gazette of India dated 3rd December, 2018.
- (7) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) to (iii) of (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 10223/16/18]

- (8) A copy of the Draft Notification No. F. No. 07/19/2012-CL.V (Pt.V) (Hindi and English versions) regarding granting/substituting exemptions to Government Company in three sections of the Companies Act, 2013 i.e. clause (45) of section 2, clause (a) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act, 2013 read with Notification No. 463(E) dated 05.06.2015 issued to

Government Companies under sub-section (2) of Section 462 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 10224/16/18]

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 467 of the Companies Act, 2013:-

- (i) S.O.4822(E) published in Gazette of India dated 13th September, 2018 regarding amendment to Schedule V of the Companies Act, 2013.
- (ii) G.S.R.1022(E) published in Gazette of India dated 11th October, 2018 regarding amendment to Schedule III of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 10225/16/18]

